उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2
संख्या-7/2019/(629/2019)9/6/35-आ-2/2007-70
लखनऊ : दिनांक 09 मार्च,2019

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उप धारा-(4) के खण्ड (ड.) के अधीन संलग्नक में उल्लिखित चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में उनके सामने अंकित व्यक्तियों को एतदद्वारा जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव, नियोजन।

संख्या:7/2019/(629/2019)9/6/35-आ-2/2007-70, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ ।
2- मा. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3- मुख्य सचिव के निजी सचिव।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्य मंत्री।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
6- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा ।
7- जिलाधिकारी, हमीरपुर/बांदा ।
8- मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर/बांदा ।
9- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हमीरपुर/बांदा ।
10- सम्बंधित व्यक्ति।
11- नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
12- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ. प्र. को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंश में प्रकाशित कर दें ।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस. यादव)
विशेष सचिव, नियोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालयज्ञाप संख्या-7/2019/(629/2019)9/6/35-आ-2/2007-70 दिनांक 09 मार्च,2019 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उप धारा (4)के खण्ड(ड.) के अधीन जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति

	जनपद का नाम	नाम-निर्दिष्ट होने वाले सदस्यों की संख्या		नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का पता
1	हमीरपुर	1	1	श्री संतविलास शिवहरे	ग्रा0वपो0इन्गोहटा,जिला-हमीरपुर
2	बांदा	2	1	श्री लवलेश सिंह	कालीकुआ,बबेरू,बांदा
			2	श्री संतोष गुप्ता	औद्योगिकअस्थान,पुलिसलाईन/सिविललाईन,बांदा210001

(आर.एन.एस. यादव)
विशेष सचिव, नियोजन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।